

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम


फर्द अहकाम

सु. नं० 46/15 तारीख रजू 26.6.15

उनवान - जंगराम बनाम शिशिराम गुजर वगैरे

दावा वाबत तकास्मा व स्थायी निबेधाज्ञा

आदी की ओर से श्रीशमभरेस्वी गुप्ता Adv. ने दावा वाबत तकास्मा व स्थायी निबेधाज्ञा पेश किया। इत्तोजो का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रीजस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब कर दिनांक 30.7.15 को पेश हुवे।


 उप जिला कलक्टर
 टोडाभीम (करोली)

30/7/15 दादी वकील उप। प्रतिवादी नं. 1 का 3 की ओर से श्री वैष्णोमाधव पारीक Adv. ने भी पेश किया। प्रतिवादी नं. 4, 5, 6 का जूद सूफा उप. नहीं है इसके विरुद्ध एक पक्षीप कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। प्रतिवादी नं. 2 का सम्मन बाद तालीत प्राप्त नहीं है। इन्तजार ही तालीत व क्वालतामा पेश करने दि 07.9.15 को पेश हो

7/9/15 पतावली पेश हुई। वार की भीट से कापी रिश्तार रश्मा गया। वारसे कालार नामा दिनांक 12.10.15 को पेश हो

उनवान - जगराम बनाम श्रीशराम कोठे

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभी

दिनांक	फर्द अहकाम
8.1.18	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी के द्वारा पत्रावली नही की जाने के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। काले जायगी तनदीपत दि 5.2.18 को पेश हो।
5.2.18	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी के द्वारा पत्रावली गतानुसार दिनांक 6.3.18 को पेश हो।
26.2.18	वादी एवं वादी वकील के उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र मिसल तालकी एवं मुकदमा आगे नही चलाने प्रस्तुत करने पर पत्रावली तलब की गई। पक्षियों के मध्य राजीनामा हो जाने से मुकदमा आगे नही चलाने के कथनावसान यह दावा इसी खेज पर रखा रिज किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमा होकर नम्बर से कम होकर दारिखत दफ्तार हो।

उपखण्ड अधिकारी
टोडाभीम, करौली (राज.)